न्यायालय अपर समाहर्त्ता, जमुई
जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–44 / 2019

Sl No date of order of proceeding	Order with Signature of the Court	Office Action taken with date

आदेश

1 जीतेन्द्र कुमार, पे0–शिवदयाल प्रसाद — आवेदक प्रथम
2 मनोज कुमार महतो, पे0–हरिहर प्रसाद महतो — आवैदक द्वितीय
3 बबलु कुमार, पे0–सुभाष महतो — आवेदक तृतीय
सभी सा0–अलीगंज, थाना–चन्द्रदीप, जिला–जमुई।

बनाम

1 सुमा देवी, पति–लाटो महतो — विपक्षी प्रथम
2 सुफेन्द्र महतो, पे0–स्व0 किसुन महतो — विपक्षी द्वितीय
3 इलाईची देवी पति–स्व0 अशोक महतो — विपक्षी तृतीय
सभी सा0–अलीगंज, पो0–अलीगंज, थाना–चन्द्रदीप, जिला–जमुई।

अभिलेख उपस्थापित। विचाराधीन जमाबंदी रद्दीकरण वाद जीतेन्द्र कुमार, पे0–शिवदयाल प्रसाद एवं अन्य, सा0–अलीगंज, थाना–चन्द्रदीप, जिला–जमुई के आवेदन दिनांक–24.06.2019 के आलोक में कार्यवाही प्रारंभ की गई। उक्त वाद में उभयपक्षों को नोटिस निर्गत करते हुए सुनवाई की गई तथा उभयपक्षों द्वारा अपने–अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखा गया।

वादी (प्रथम पक्ष) का कथन :–

(1) प्रथम पक्ष का कथन है कि मौजा–अलीगंज ईस्लामनगर के अन्तर्गत खाता सं0–163, खेसरा सं0–995, रकवा–1.97 एकड़ सर्वे खतियान में छठू नुनीआ के नाम पर दर्ज है।

(2) छठु नुनीआ की वंशावली इस प्रकार है :–छठू नुनीआ के पुत्र जेहल नुनीआ एवं उनके पुत्र फगुनी नुनीआ के तीन पुत्र क्रमशः रामचन्द्र, भोनु एवं हरिहर थे। जिसमें रामचन्द्र नावल्द थे एवं उनकी मृत्यु हो गयी। भोनु के पुत्र अशोक नोनिया एवं हरिहर की पत्नी मसो0 कमला देवी है।

(3) छठु नोनिया उक्त 1.97 एकड़ के अधीन थे एवं वे अपने पीछे दो पुत्र को छोड़कर मृत्य हो गये तथा दोनो भाईयों ने छठु नोनिया की समस्त भूमि का आपस में बंटवारा कर लिया। परिवार के द्वारा समस्त भूमि के किये गये मौखिक बंटवारा में खाता सं0–163 की सम्पूर्ण भूमि 1.97 एकड़ जेहल नोनिया के हिस्से में आवंटित हुई तथा वे इसके दखल में आये। जेहल नोनिया अपने पीछे एक पुत्र फगुनी नोनिया को छोड़कर मृत्य हो गये।

(4) फगुनी नोनिया उक्त जमीन के दखल में आये तथा वे अपने पीछे तीन पुत्र रामचन्द्र नोनिया, भोनु नोनिया एवं हरिहर नोनिया को छोड़कर मृत्य हो गये। रामचन्द्र नोनिया अविवाहित तथा नावल्द रूप में मृत्य हो गये तथा उनके बाद दोनो भाई भोनु नोनिया एवं हरिहर नोनिया समस्त 1.97 एकड़ भूमि के संयुक्त दखल में आये। भोनु नोनिया अपने पीछे एक मात्र उत्राधिकारी अशोक नोनिया एवं हरिहर नोनिया अपने पीछे अपनी पत्नी कमला देवी को छोड़कर मृत्य हो गये।

(5) जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् जमाबंदी सं0–286 रामचन्द्र

नोनिया एवं भोनु नोनिया के नाम पर सृजित हुई।

(6) मसो0 कमला देवी एवं अशोक नोनिया को पैसों की आवश्यता के आलोक में 99डी0 एवं 98डी0 कुल 1.97 एकड़ जमीन निबंधित वसीका क्रमशः दिनांक–12.02.19 एवं 27.09.18 के द्वारा आवेदकों को बिक्री कर दिये।

(7) आवेदकगण उक्त भूमि पर दखलकार हुए तथा उनके द्वारा अंचल अधिकारी, ईस्लामनगर अलीगंज के समक्ष दाखिल–खारिज़ वाद दायर किया गया, जिसकी संख्या–1670 एवं 1673/आर0, 27/2018–19 दिया गया तथा विपक्षी सं0–01 एवं उनके पिता विपक्षी सं0–02 तथा उनके ससुर विपक्षी सं0–03 के नाम पर बिना किसी दस्तावेज के फर्जी तरीके से जमाबंदी सं0–367 एवं 455 कायम की गई थी।

(8) विद्वान अंचल अधिकारी जमाबंदी सं0–367 एवं 455 के आलोक में आवेदकगण के नाम सें दाखिल–खारिज करने से इन्कार कर दिया गया, जिसके आलोक में वर्त्तमान आवेदन दायर किया गया है।

(9) जमाबंदी सं0–367 एवं 455 में आपस में भी विसंगति है, जिससे स्पष्ट है कि जमाबंदी सं0–367 एवं 455 फर्जी एवं जालसाजी है। आवेदकगण के द्वारा उक्त के आलोक में जमाबंदी सं0–367 एवं 455 रद्द कर उनके नाम पर दाखिल–खारिज करने का अनुरोध किया गया है। साक्ष्य के रूप में आवेदकगण द्वारा खतियान के नकल की छाया–प्रति, निबंधित वसीका सं0–1098, दिनांक–12.02.2019, जिसके द्वारा खाता सं0–163, खेसरा सं0–995, रकवा–99डी0 भूमि मसो0 कमला देवी द्वारा श्री बबलू कुमार, पे0–श्री सुभाष महतो एवं श्री मनोज कुमार मेहता, पे0–स्व0 हरिहर प्रसाद मेहता, सा0–अलीगंज को बिक्री की गई है एवं निबंधित वसीका सं0–8267, दिनांक–27.09.2018, जिसके द्वारा श्री अशोक नोनिया द्वारा श्री जीतेन्द्र कुमार, पे0–श्री शिवदयाल प्रसाद एवं श्री मनोज कुमार मेहता, पे0–स्व0 हरिहर प्रसाद मेहता, सा0–अलीगंज को खाता सं0–163, खेसरा सं0–955, रकवा–98डी0 भूमि बिक्री की गई है, की छाया–प्रति तथा रामचन्द्र नोनिया एवं भोनू नोनिया के नाम पर निर्गत ऑन लाईन लगान रसीद की छाया–प्रति और अंचल अधिकारी, ई0 अलीगंज के समक्ष दायर दाखिल–खारिज आवेदन एवं आम सूचना की छाया–प्रति संलग्न की गई है।

विपक्षी का कथन :–

(1) आवेदक का जमाबंदी रद्दीकरण वाद चलने योग्य नहीं है तथा आवेदक इस न्यायालय को गलत कहानी के आधार पर अवैध रूप से लाभ प्राप्त करना चाहते है।

(2) समस्त वाद तथा आवेदकगण का दावा फर्जी, आधारहीन, गलत तथा स्वीकार योग्य नहीं है। अंचल अधिकारी का प्रतिवेदन भी गलत एवं एकपक्षीय है।

(3) आवेदकगण द्वारा दी गई खतियानी रैयत कीं वंशावली काल्पनिक एवं गलत है।

(4) आवेदकगण व्यवहार न्यायालय में स्वत्व निर्धारित करने हेतु सिविल कोर्ट जाने के स्थान पर यह छोटा रास्ता अपनाया गया है, जो सही नहीं है।

(5) दिनांक–27.09.2018 एवं 12.02.2019 को आवेदकगण के नाम पर यदि कोई क्रय–बिक्रय वसीका है तो वह अवैध, अकार्यशील, अविचारणीय एवं शून्य है।

(6) आवेदकगण खाता सं0–163, खेसरा सं0–995, रकवा–1.97 एकड़ के न तो मालिक है, न ही वे कभी इसके दखल में आये है।

(7) वे स्वीकार करते है कि खाता सं0–163 छठु नोनिया के नाम पर दर्ज है परन्तु भूतपूर्व मध्यवर्ती द्वारा खाता सं0–163 की जमीन बहुत ही पूर्व नीलामी के उपरांत बिक्री कर दी गई।

(8) भूतपूर्व मध्यवर्ती द्वारा प्रश्नगत भूमि चमारी महतो, जो विपक्षीगण के पूर्वज है, को हुकुमनामा दिनांक–15.08.1939 के द्वारा बंदोवस्त कर दी गई थी।

(9) बंदोवस्ती के उपरांत चमारी महतो के द्वारा स्वत्व एवं दखल प्राप्त हुआ तथा जमींदार के सरिस्ता में उनका नाम दर्ज किया गया।

(10) चमारी महतो के द्वारा लगान के कमी के लिए आवेदन दिया गया, जिसके आलोक में लगान न्यूनीकरण शिड्यूल उनके नाम पर तैयार किया गया तथा भूतपूर्व मध्यवर्ती के द्वारा चमारी महतो के नाम से लगान वसूल कर रसीद भी निर्गत किया गया।

(11) चमारी महतो की वंशावली इस प्रकार है :–चमारी महतो के दो पुत्र किशन महतो 98 $\frac{1}{2}$डी0 एवं लाटो महतो, पत्नी सुमा देवी 98 $\frac{1}{2}$डी0 हुए। किसुन महतो के पुत्र सुपेन्द्र महतो 49$\frac{1}{4}$डी0 एवं अशोक महतो, पत्नी इलाईची देवी 49$\frac{1}{4}$डी0 है।

(12) चमारी महतो के द्वारा अंचल अधिकारी, सिकन्दरा के समक्ष आवेदन दायर किया गया, जिसके आलोक में विविध वाद सं0–43/1954–55 पंजीकृत किया गया, जो विपक्षीगण के दावा को स्थापित करता है।

(13) चमारी महतो अपने पीछे दो पुत्र किसुन एवं लाटो को छोड़कर मृत्य हो गये तथा उन दोनो ने खाता सं0–163 की जमीन आपसी सहमति से दो बराबर हिस्से 98 $\frac{1}{2}$डी0–98 $\frac{1}{2}$डी0 बंटवारा कर लिये तथा उसके आलोक में जमाबंदी सं0–367 में रकवा 98 $\frac{1}{2}$डी0 एवं जमाबंदी सं0–98 $\frac{1}{2}$डी0 सृजित किया गया। उक्त दोनो जमाबंदी बहुत पुरानी जमाबंदियां है।

(14) किसुन महतो के मृत्यु के पश्चात् सोपेन्द्र महतो एवं अशोक महतो के बीच मौखिक बंटवारा के तहत 49$\frac{1}{4}$ डी0–49$\frac{1}{4}$ डी0 प्राप्त हुआ तथा इसके अनुसार जमाबंदी सं0–908 एवं 909 सृजित किया गया।

(15) जमाबंदी सं0–367 एवं 455 कभी भी अवैध जाली या गलत जमाबंदियां नहीं है। विपक्षीगण द्वारा इस आधार पर वाद खारिज करने का अनुरोध किया गया।

<u>अंचल अधिकारी का जाँच प्रतिवेदन</u> :–अंचल अधिकारी, ई0 अलीगंज ने अपने पत्रांक–215, दिनांक–27.07.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि :–

(1) मौजा–इस्लामनगर, थाना नं0–66 के खाता सं0–163, खेसरा सं0–995, रकवा–1.97 एकड़ भूमि किस्म भीठ रैयत फगुनी नोनिया, पिता–पेमधर कौम नोनिया , पिता–फगुनी नोनिया के नाम पर कांयम है।

(2) जमाबंदी के अनुसार जमाबंदी सं0–286 रामचन्द्र नोनिया वो

भोनु नोनिया के नाम पर कायम है। इस जमाबंदी के प्राधिकार कॉलम में केश नं0–43/54–55 के अनुसार जमाबंदी 367 दर्ज किया हुआ है। केश नं0–43/54–55 भूमि से संबंधित वाद नहीं है वरन यह वाद फौजदारी का है।

(3) जमाबंदी सं0–367 किसुन महतो, पिता–चमारी महतो, सा0–गोखुलचक, अलीगंज के नाम पर दर्ज है। इस जमाबंदी में 98.5डी0 रकवा दर्ज था। जमाबंदी पर खाता सं0–163, खेसरा सं0–995, रकवा–98.5 डी0 अंकित है।

(4) जमाबंदी के प्राधिकार कॉलम में कोई वर्णन नहीं है। इस जमाबंदी की भूमि आपसी बंटवारा वाद सं0–37/2013–14 के अनुसार जमाबंदी सं0–908 एवं 909 पर रकवा चला गया है।

(5) जमाबंदी सं0–455 सुमा देवी, पति–लाटो महतो, सा0–गोखुलचक अलीगंज के नाम पर कायम है। जमाबंदी में कुल रकवा–98.5डी0 अंकित है। यह जमाबंदी कैसे कायम हुआ है, प्राधिकार कॉलम में कोई वर्णन नहीं है।

(6) जमाबंदी सं0–908 सोपेन्द्र महतो, पिता–स्व0 किसुन महतो, साकिन–गोखुलचक अलीगंज के नाम पर कायम है, जिसमें कुल रकवा–49.25डी0 बंटवारा से जमाबंदी सं0–367 से आया। वर्त्तमान में रकवा–21.25डी0 शेष है। जमाबंदी सं0–909 मसो0 इलाइची देवी, पति–स्व0 अशोक महतो के नाम पर कायम है। इस जमाबंदी में कुल रकवा–49.25डी0, खाता सं0–163, रकवा–995, रकवा–49.25 डी0 दर्ज है।

(7) आवेदित भूमि खाता सं0–163, खेसरा सं0–995, रकवा–1.97 एकड़ खतियानी एवं जमाबंदी रैयत के वंशज से आवेदक जितेन्द्र कुमार, बबलू कुमार एवं मनोज कुमार मेहता केवाला द्वारा भूमि खरीद किया है।

(8) आवेदित भूमि पर आवेदक का दखल–कब्जा है। जमाबंदी सं0–286 ऑन लाईन पोर्टल पर भी दर्ज है एवं ऑन लाईन लगान रसीद भी निर्गत है। इस प्रकार खाता सं0–163, खेसरा सं0–995, रकवा–1.97 एकड़ के स्थान पर 3.94 एकड़ का जमाबंदी कायम है।

(9) विपक्षीगण द्वारा खाता सं0–163, खेसरा सं0–995, रकवा–1.97 एकड़ भूमि कैसे प्राप्त हुआ है, इसका साक्ष्य नहीं दिया गया है।

निष्कर्ष :–उभयपक्षों की सुनवाई एवं प्रस्तुत साक्ष्य स्पष्ट है कि मौजा–ईस्लामनगर, थाना नं0–66, खाता सं0–163, खेसरा सं0–995, रकवा–1.97 एकड़, किस्म जमीन–घनहर, छठु नोनिया वल्द पेमधर कॉम नोनिया साकिन अलीगंज, टोला गोखुलचक के नाम पर सर्वे खतियान में दर्ज है। जमाबंदी के अनुसार जमाबंदी सं0–286 पर रामचन्द्र नोनिया वो भोनु नोनिया के नाम पर रकवा–1.97 एकड़ दर्ज है तथा वाद सं0–43/54–55 के अनुसार यह होल्डिंग नं0–367 पर गया। वाद सं0–43/54–55 भूमि से संबंधित वाद नहीं है यह वाद फौजदारी का है। जमाबंदी सं0–367 किसुन महतो, पिता–चमारी महतो, सा0–गोखुलचक के नाम पर दर्ज है तथा इस जमाबंदी पर खाता संख्या 163, खेसरा सं0–995, रकवा–98.5डी0 अंकित है। इस जमाबंदी की भूमि आपसी बंटवारा वाद सं0–37/13–14 के अनुसार जमाबंदी सं0–908 एवं 909 पर चला गया

है। जमाबंदी सं0–455 सुमा देवी, पति–लाटो महतो, सा0–गोखुलचक के नाम पर कायम है तथा जमाबंदी में कुल रकवा–98.5डी0 अंकित है। जमाबंदी सं0–908 सोपेन्द्र महतो, पिता–स्व0 किसुन महतो, सा0–गोखुलचक के नाम पर कुल रकवा–49.25डी0 दर्ज है जो बंटवारा द्वारा जमाबंदी सं0–367 से आया है तथा वर्त्तमान में रकवा–2.25डी0 शेष है। जमाबंदी सं0–909 मसो0 इलाईची देवी, पति–स्व0 अशोक महतो के नाम पर कायम है तथा इस जमाबंदी में खाता सं0–163, खेसरा सं0–995, रकवा–49.25 डी0 आपसी बंटवारा द्वारा दर्ज है। आवेदित भूमि खाता सं0–163, खेसरा सं0–995, रकवा–1.97 एकड़ भूमि खतियानी एवं जमाबंदी रैयत के वंशज से आवेदक जीतेन्द्र कुमार, बबलु कुमार एवं मनोज कुमार मेहता द्वारा निबंधित वसीका के माध्यम से खरीद किया है तथा भूमि पर आवेदक का दखल–कब्जा है। जमाबंदी सं0–286 ऑन लाईन पोर्टल पर भी दर्ज है एवं लगान रसीद भी निर्गत है। इस प्रकार खाता सं0–163, खेसरा सं0–995, रकवा–1.97 एकड़ के स्थान पर 3.94 एकड़ की जमाबंदी कायम है। जमाबंदी रैयत सुमो देवी, पति–लाटो महतो एवं किसुन महतो, पिता–चमारी महतो को खाता सं0–163, खेसरा सं0–995, रकवा–1.97 एकड़ भूमि कैसे प्राप्त हुआ, इसका कोई साक्ष्य नहीं दिया गया।

उल्लेखनीय है कि सुनवाई के क्रम में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि विपक्षीगण अपने जबाव में यह वर्णित किया है कि किसुन महतो के मरने के बाद उनके दोनो पुत्र सोपेन्द्र महतो एवं अशोक महतो के नाम बंटवारा के आधार पर 49.25डी0–49.25डी0 भूमि की जमाबंदी सं0–908 एवं 909 पर कायम कर दी गई है, जिसको भी आवेदकगण रद्द करने का अनुरोध किया गया है। चूंकि वर्त्तमान वाद में सुनवाई पूरी हो चुकी है, तो इसमें नये सिरे से जमाबंदी सं0–908 एवं 909 के रद्दीकरण पर विचार किया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। इस संबंध में आवेदकगण अलग से सक्षम प्राधिकार के समक्ष वाद दायर कर सकते है।

चूंकि आवेदकगण के द्वारा प्रश्नगत भूमि खतियानी रैयत के वंशजों से निबंधित केवाला के माध्यम से भूमि क्रय की गई है तथा खतियानी रैयत के वंशज रामचन्द्र नोनिया वो भोनु नोनिया , पिंता–फगुनी नोनिया के नाम पर जमाबंदी सं0–286 पर 1.97 एकड़ की जमाबंदी कायम है एवं उस जमाबंदी को Cross कर दिया गया है एवं वाद सं0–43/54–55 के अनुसार होल्डिंग नं0–367 अंकित किया है परन्तु यह किसके द्वारा अंकित किया गया है उसका उल्लेख/हस्ताक्षर अंकित नहीं है। साथ ही अंचल अधिकारी, ई0 अलीगंज द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि जमाबंदी संख्या–286 ऑन लाईन पर कायम है। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदनानुसार केस नं0–43/54–55 भूमि से संबंधित वाद नहीं है वरन यह फौजदारी से संबंधित है। अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में यह भी दर्शाया है कि जमाबंदी सं0–455 के जमाबंदी रैयत सुमा देवी, पति–लाटो महतो तथा जमाबंदी सं0–367 पर अंकित जमाबंदी रैयत किसुन महतो, पे0–चमारी महतो को खाता सं0–163, खेसरा सं0–995, रकवा–1.97 एकड़ किस प्रकार प्राप्त हुआ इसका कोई साक्ष्य उन्हें उपलब्ध कराया नहीं गया है और न ही इस न्यायालय में सुनवाई के क्रम में अपने जबाव के साथ प्रश्नगत खाता सं0–163, खेसरा सं0–995, रकवा–1.97 एकड़ भूमि प्राप्त होने का कोई साक्ष्य ही दिया गया है। चूंकि खतियानी रैयत के वंशज के नाम से कायम जमाबंदी संख्या–286 बिना

सक्षम प्राधिकार के आदेश के Cross कर दिया गया है तथा अंचल अधिकारी के प्रतिवेदनानुसार फौजदारी से संबंधित वाद का उल्लेख कर जमाबंदी संख्या–367 कायम की गई है। इसी प्रकार सुमो देवी, पति–लाटो महतो के नाम से कायम जमाबंदी सं0–455 किस प्रकार कायम की गई इसका कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही साथ अंचल अधिकारी, ई0 अलीगंज द्वारा यह भी प्रतिवेदित है कि प्रश्नगत भूमि पर खतियानी रैयत के वंशजों से निबंधित वसीका के माध्यम से क्रय किए गए क्रेताओं जीतेन्द्र कुमार, बबलु कुमार एवं मनोज कुमार मेहता का प्रश्नगत भूमि पर दखल–कब्जा है, स्पष्ट है कि विपक्षीगण का प्रश्नगत भूमि पर दखल–कब्जा भी नहीं है। अतएव अंचल अधिकारी, ई0 अलीगंज के जाँच प्रतिवेदन को दृष्टिपथ पर रखते हुए बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश से अनाधिकृत रूप से कायम जमाबंदी सं0–367 एवं 455 से प्रश्नगत भूमि मौजा–इस्लामनगर, थाना नं0–66, खाता सं0–163, खेसरा सं0–995, रकवा–1.97 एकड़ भूमि विलोपित (रद्द) किया जाता है। तथा अंचल अधिकारी, ई0 अलीगंज को निदेश दिया जाता है कि तदनुसार जमाबंदी में आवश्यक सुधार करें।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

4/2/21

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

4/2/21

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

समाहरणालय, जमुई
(राजस्व शाखा)

ज्ञापांक– 240 /रा0, दिनांक 04.02.2021

प्रतिलिपि :–उभयपक्षो/उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई/अंचल अधिकारी, ई0 अलीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी एन0आई0सी0, जमुई को आदेश की प्रति जिला के बवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

4/2/21

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।